



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 64-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2013

दिनांक: 31 अगस्त, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ताओं (वै0एवंयां0) को अधीक्षण अभियन्ता (वै0एवंयां0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता (वै0एवंयां0) के पद पर नियुक्त/नियुक्ति हेतु स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार निगम को आबण्टित/तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति के पश्चात आबंटित निगम/तैनाती
1	2	3	4
1	श्री पंकज कुमार 86024/मुरादाबाद 31.01.2019	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बुलन्दशहर।	अधीक्षण अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ, को आबण्टित।
2	श्री विनय कुमार सिंह 86025/फर्रुखाबाद 28.02.2018	अधिशासी अभियन्ता, वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा, लखनऊ।	अधीक्षण अभियन्ता, रेस्पो, लखनऊ।
3	श्री शेखर अग्रवाल 86026/इलाहाबाद 31.12.2022	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, कानपुर।	अधीक्षण अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, केस्को लिमिटेड, कानपुर को आबण्टित।
4	श्री सत्यानन्द दीक्षित 86027/इलाहाबाद 31.12.2021	अधिशासी अभियन्ता एवं उप सचिव (2ब), शक्ति भवन, मुख्यालय, लखनऊ।	अधीक्षण अभियन्ता एवं संयुक्त सचिव (अ0प्र0-02), कारपोरेशन मुख्यालय, लखनऊ।
5	श्री हर्ष मुन्शी 86029/लखनऊ 29.02.2020	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, डिबई, बुलन्दशहर।	अधीक्षण अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, को आबण्टित।

2- उपरोक्त अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाना है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताक्रम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

4- उपरोक्त आदेश दिनांक 01-09-2013 (पूर्वान्ह) से प्रभावी होंगे।

5- आबण्टित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

(Signature)
31/8/13

कमश.....2.....

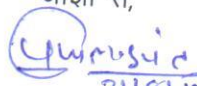
- 6- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- 7- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- 8- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निवेशित याचिका संख्या ए-नम्बर-38372/2013 - अनूप चन्द्र एवं 5 अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं 34 अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 64 (1)अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०न्समिशन का०लि०।
4. मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, कमरा नं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

(प्रफुल्ल चन्द्र पन्त)
उप सचिव